न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 108/2022 निर्णय दिनांकः 11.02.2023
ऑनलाईन नंबर 2022/218

हेतराम पुत्र पनाराम जाति बावरी निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। —वादी—

बनाम

1. मुनीराम पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. उप—पंजीयक, पंजीयन कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक वादी
2. श्री सुखदेव व्यास अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ के स्थायी निवासी हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति हैं यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1124/583 तादादी 3.1642 हैक्टेयर,खेत खसरा नम्बर 484 तादादी 5.6400 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं। उक्त खसरान में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा स्थित था। खेत खसरा नम्बर 1124/583 तादादी 3.1642 हैक्टेयर ग्राम बापेऊ की आबादी के समीप स्थित है। यह हैं कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से ग्राम बापेऊ की आबादी के समीप स्थित संयुक्त खातेदारी के खेत में स्थित उसके हिस्से में से 0.2529 हैक्टेयर कृषि भूमि खरीद करने का इकरार किया था एव दिनांक 21.06.2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 0.2529 हैक्टेयर कृषि भूमि खरीद कर ली। प्रतिवादी संख्या 1 अनपढ़ व्यक्ति हैं जो केवल हस्ताक्षर करना जानता हैं इसी कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2022 को तैयार करवाते समय ग्राम बापेऊ की आबादी के समीप स्थित अपने संयुक्त खातेदारी खेत खसरानम्बर 1124/583 की बजाय भूल वश गांव की रोही मे स्थित खेत खसरा नम्बर 484 का राजस्व रिकार्ड उपलब्ध करवा दिया जिस कारण विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2022 में खेत खसरा नम्बर 484 के राजस्व रिकार्ड के अनुरूप टंकित हो गया। वादी ने उक्त विक्रय पत्र के पंजीयन में आबादी भूमि के समीप स्थित कृषि भूमि की निर्धारित दर के अनुसार ही पंजीयन विभाग को शुल्क अदा किया है परन्तू प्रतिवादी संख्या 1 की भूल के कारण उसके आबादी के समीप स्थित खेत खसरा की बजाय आबादी से दूर स्थित अन्य खेत में स्थित उसके हिस्सा में दर्ज हो गया। उक्त कृषि भूमि के विक्रय पत्र का नामान्तरकरण संख्या 1382 दिनांक 29.06.2022 का दर्ज हो गया। तदुपरांत वादी ने अपने खरीदशुदा खेत की जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की नकले निकलवायी तब वादी को ज्ञात हुआ कि विक्रय पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के गांव की आबादी के समीप स्थित खेत की बजाय अन्य खेत का अंकन हो गया हैं जिस कारण गलत नामान्तरकरण दर्ज हो गया है। वादीदावा के माध्यम से नामान्तरकरण संख्या 1382 दिनांक 29.06.2022 को खारिज करवाकर विक्रय पत्र में शुद्धी करवाकर खेत खसरानम्बर 1124/583 में 0.2529 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाना चाहता हैं जिसका की वादी कानूनन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.22 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त नामान्तरकरण दर्ज होने के उपरांत प्रार्थी ने प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय में सम्पर्क कर विक्रय पत्र में शुद्धि करवाने हेतू निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने नामान्तरकरण खारिज होने से पहले शुद्धी करने से इन्कार कर दिया तब प्रार्थी ने प्रतिवादी संख्या 3 से निवेदन कर नामान्तरकरण को खारिज करने का निवेदन किया तो उन्होनें सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना नामान्तरकरण खारिज करने से इंकार कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा किये गये इन्कार के कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हेतू प्राप्त है एवं विक्रय पत्र के आधार पर वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं परन्त वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर का हैं इसलिए वादी धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दो माह के कानूनी नोटिस से छूट प्राप्त कर दावा प्रस्तुत कर रहा है। वादी ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ का निवासी हैं एवं वादगत खेत ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं। इसलिए दावा न्यायालय श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है। यह हैं कि दावा पूर्ण कोर्ट फिस पर हर प्रकार से अन्दर मियांद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावेः—

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 484 तादादी 5.6400 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1382 दिनांक 29.06.2022 को खारिज फरमाया जाकर वादी को विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2022 में खसरा नम्बर 1124/583 तादादी 3.1642 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ शुद्ध दर्ज करवाने की अनुमति प्रदान करे एव उसी अनुसार खातेदारी दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रतिवादी संख्या 3 को प्रदान किया जावे।

(ख) कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर दावा डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। संक्षेप में अप्रार्थी संख्या 01 व स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 484 तादादी 5.6400 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1382 दिनांक 29.06.2022 को निरस्त किया जाकर वादी को विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2022 में खसरा नम्बर 1124/583 तादादी 3.1642 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ शुद्ध दर्ज करवाने की अनुमति प्रदान की जाती है एव उसी अनुसार खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्र जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद [illegible] रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.22 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

हेतराम पुत्र पनाराम जाति बावरी निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. मुनीराम पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. उप–पंजीयक, पंजीयन कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 108/2022

दावा बाबत घोषणात्मक

निर्णय दिनांक: 11.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री मदनगोपाल स्वामी अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सुखदेव व्यास, पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 484 तादादी 5.6400 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1382 दिनांक 29.06.2022 को निरस्त किया जाकर वादी को विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2022 में खसरा नम्बर 1124/583 तादादी 3.1642 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ शुद्ध दर्ज करवाने की अनुमति प्रदान की जाती है एव उसी अनुसार खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 11 माह 02 सन् 2023 को जारी किया गया ।

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	100	योग	0

उपखण्ड अधिकारी

श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.22 17:18:25 IST
Reason: SelfAttested